

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 522 / 2007 / जोधपुर.

2. अपील संख्या – 523 / 2007 / जोधपुर.

मैसर्स विरेन्द्र कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी प्रा० लिमिटेड,
भटिण्डा हाउस, शिकारगढ़, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स टैक्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 524 / 2007 / जोधपुर.

4. अपील संख्या – 525 / 2007 / जोधपुर.

मैसर्स विरेन्द्र एण्ड कंस्ट्रक्शन,
भटिण्डा हाउस, शिकारगढ़, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स टैक्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 25 / 08 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उपरोक्त चार अपीलों उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 15, 16, 37 व 17 / आरएसटी / जेयूबी / 2001-02 व 2002-03 में पारित किये गये संयुक्तादेश 11.01.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट व लीजिंग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधियों वर्ष 1998-99 व 2000-01 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29(6) / 29(8)(b) के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक क्रमशः 23.03.2001; 15.06.2002; 26.09.2001 व 15.06.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. इन चारों अपीलों में विवादित समान बिन्दु निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।






लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण, जो कि संविदाकर्मी हैं, के द्वारा राज्य के बाहर से ठेका कार्यों में उपयोग किये जाने हेतु माल का आयात किया जाकर उसे ठेका कार्यों में प्रयुक्त किया गया था, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल का विक्रय डीम्ड सेल के रूप में होना मानते हुए उस पर करारोपण किया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपीलें की जाने पर, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2007 से अपीलें अस्वीकार की गयीं, जिसमें व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर प्राप्त ठेका कार्यों में प्रयुक्त किये गये माल को अवार्डर को माल का हस्तान्तरण होने के आधार पर किये गये करारोपण को विधिसम्मत माना गया एवं अपीलार्थी की इस विधिक दलील को अस्वीकार किया गया था कि अन्तर्राज्यीय क्रय किये गये माल पर ठेके में प्रयुक्त होने पर करारोपण नहीं किया जा सकता है। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थीगण ने जो माल राज्य के बाहर से अन्तर्राज्यीय विक्रय के क्रम में खरीद किया गया था उस माल का उपयोग संविदा कार्य में किये जाने पर उस पर करारोपण नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्तर्राज्यीय क्रय-विक्रय पर किसी भी तरह का करारोपण किये जाने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राज्य व अन्य (2001) 9 सेल्स टैक्स टुडे 60 (राज.) तथा मैसर्स ब्लैक स्टोन रबर इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (2001) 9 एस.टी.टी. 163 (राज.) में अधिनियम की धारा 2(38) के द्वितीय स्पष्टीकरण को असंवैधानिक करार देते हुए अन्तर्राज्यीय खरीदकर उपयोग में लिये गये माल पर करारोपण को अनुचित माना गया था अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अन्तर्राज्यीय क्रम में खरीद किये गये माल पर कार्य संविदा में उपयोग के आधार पर जो करारोपण किया गया है वह अपास्तनीय है अतः अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

5. विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विवरण पत्र को विलम्ब से जमा कराने पर बिना सुनवाई के आरोपित शास्ति को भी अपीलीय आदेश में यथावत रखने को चुनौती देते हुए कथन किया कि बिना सुनवाई के शास्ति का आरोपण अपास्तनीय है।



6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपील आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा राज्य के बाहर से माल का आयात कर उसकी डिलीवरी प्राप्त कर उस माल का विक्रय संविदा कार्यों में उपयोग करते हुए डीमंड सेल के रूप में किया गया है जो अधिनियम की धारा 2(38) के तहत बिक्री की परिभाषा में होने से किया गया करारोपण पूर्णतया विधिसम्मत है एवं स्वयं अपीलार्थी के पूर्व के वर्षों में इसी बिन्दु पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा इसे विधिसम्मत माना जा चुका है अतः अपीलार्थी आदेश में किसी भी तरह का दोष नहीं है।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. प्रस्तुत सभी प्रकरणों में केवलमात्र यह विधिक प्रश्न विवादित किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा 'सी' फॉर्मों के जरिये जो माल राज्य के बाहर से आयात किया गया है, उसका उपयोग संविदा कार्य के दौरान करते हुए अवार्डर को माल का ट्रांसफर किया गया है उसपर कर आरोपणीय है अथवा नहीं। इस प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा माल स्वयं ने खरीदकर राज्य के भीतर प्राप्त ठेका कार्यों में माल का उपयोग करते हुए उसे अवार्डर को डीमंड सेल के रूप में हस्तान्तरित किया गया है, ऐसी स्थिति में ऐसे माल का विक्रय राज्य के भीतर अधिनियम की धारा 2(38)(ii) के तहत विक्रय की परिभाषा में सम्मिलित होता है। विक्रय की परिभाषा के अनुसार कोई भी माल जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को विशेष प्रतिफल के लिये हस्तान्तरित किया जाता है वह विक्रय माना जायेगा एवं इन विक्रयों में वे संव्यवहार भी शामिल किये गये हैं, जिनमें माल का हस्तान्तरण वस्तु या अन्य रूप में संविदा कार्यों के निष्पादन के दौरान किया जाता है। इस प्रकरण में माल का आयात किये जाने के पश्चात् उस माल का विक्रय संविदा कार्यों के निष्पादन के दौरान अवार्डर को ट्रांसफर किया गया है वह राज्य के भीतर विक्रय होने से राज्य का कर देने का दायित्वाधीन है।

9. उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा इसी विवादित बिन्दु पर ही पूर्व के वर्षों में भी अपील की जाने पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 62/2009/जोधपुर सहायक आयुक्त, वर्क्स टैक्स बनाम विरेन्द्र कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 में किये गये निर्णय दिनांक 18.7.2011 में विस्तृत विवेचन के साथ निर्णीत किया जा चुका है कि राज्य के बाहर से 'सी' फॉर्म के समर्थन से आयातित माल की संविदा कार्यों के अन्तर्गत की गयी बिक्री पर कर निर्धारण

अधिकारी द्वारा कर का आरोपण किया जाना विधिसम्मत है। चूंकि अपीलार्थी के प्रकरण में ही माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा यह निर्णीत किया जा चुका है कि संविदा कार्यों में उपयोग में लिये जाने के कारण माल का विक्रय अधिनियम की धारा 2(38)(ii) के अन्तर्गत राज्य में विक्रय की श्रेणी में आता है तथा इस पर राज्य में कर का दायित्व बनता है।

10. उक्तानुसार अपीलार्थी के प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर्राज्यीय क्रय के दौरान प्राप्त किये गये माल का विक्रय डीम्ड सेल के रूप में संविदा कार्य में होने से किया गया करारोपण एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य